



थाना विजयनगर पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड में एक शातिर लुटेरा/चोर को मय 01 पुलिन्दा व 01 तमन्चा 315 बोर व 01 खोखा, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 खोखा कारतूस 09MM व एक लिफाफ स्वैव व घटना में प्रयुक्त मो0सं0 अपाचे के साथ गिरफ्तार ।

श्रीमान पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मुनिराज जी द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजय नगर पुलिस को अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा **दिनांक 24.09.2022** को चैकिंग की जा रही थी तभी जरिये वायरलैस सैट क्रासिंग रिपब्लिक क्षेत्र में दो बदमाशों को मोटर साईकिल से चैकिंग में ना रूकने की सूचना पर प्रभारी चौकी क्रासिंग रिपब्लिक उ0नि0 श्री राम प्रताप राघव मय का0 2582 संदीप कुमार पीसी 06 के पीछा करने तथा सूचना पाकर प्रभारी निरीक्षक मय हमराहीयान है0का0 1508 अमित कुमार व है0का0 797 देव प्रताप मय सरकारी वाहन चालक राजकुमार सिंह व चौकी प्रभारी गऊशाला उ0नि0 श्री सरबन कुमार गौतम मय हमराह का0 810 भूपेन्द्र द्वारा जलप्लांट रोड़ पर बदमाशों को घेरने पर तथा बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से असलाहों से फायर किये गया । जिसमें है0का0 1508 अमित कुमार घायल हो गया पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ बदमाशों पर सरकारी असलाहों से 02 फायर किये गये जिसमें एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी तथा बदमाश घायल हो गया तथा दूसरा बदमाश झाड़ियों व अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला । जिनके कब्जे से 01 पुलिन्दा व 01 तमन्चा 315 बोर व 01 खोखा, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 खोखा कारतूस 09MM व एक लिफाफ स्वैव व घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटर साईकिल अपाचे UP14CB5232 बरामद हुयी । घायल बदमाश **खालिद उर्फ राजा पुत्र मुस्लिम निवासी 25 फुटा रोड़ बुद्ध विहार थाना सै0 63 जनपद नोएडा स्थाई पता मोहल्ला काजी थाना फफूंद जनपद औरैया उम्र 25 वर्ष** तथा घायल है0का0 1508 अमित कुमार को उपचार हेतु उ0नि0 श्री राम प्रताप राघव मय पीसी 06 के नजदीकी अस्पताल फ्लोरेंस हॉस्पिटल प्रताप विहार में भेजा गया । अभियुक्त के अपराधिक इतिहास की अन्य थानो एवं जिलो से जानकारी की जा रही है ।

अभियुक्त का नाम व पता

1. **खालिद उर्फ राजा पुत्र मुस्लिम निवासी 25 फुटा रोड़ बुद्ध विहार थाना सै0 63 जनपद नोएडा स्थाई पता मोहल्ला काजी थाना फफूंद जनपद औरैया उम्र 25 वर्ष**

बरामदगी का विवरण

1. मोटर साईकिल रजि0 न0 UP14CB5232 चोरी की ।
2. 01 तमन्चा 315 बोर व 01 खोखा, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी दिनांक , समय व स्थान

दिनांक 24.09.2022 समय 23.00 बजे
रिछपाल गढ़ी पुलिया के पास थाना विजय नगर

आपराधिक इतिहास का विवरण

खालिद उर्फ राजा पुत्र मुस्लिम निवासी 25 फुटा रोड़ बुद्ध विहार थाना सै0 63 जनपद नोएडा स्थाई पता मोहल्ला काजी थाना फफूंद जनपद औरैया उम्र 25 वर्ष

- मु0अ0सं0 0031/2019 धारा 392/411 भादवि थाना जी.आर.पी जनपद इटावा ।
- मु0अ0सं0 0006/2019 धारा 25 ए एक्ट थाना जी.आर.पी जनपद इटावा ।
- मु0अ0सं0 0185/2018 धारा 380/411 भादवि थाना जी.आर.पी जनपद इटावा ।
- मु0अ0सं0 0063/2018 धारा 392/411 भादवि थाना फेस तृतीय जनपद मध्य (कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर) ।
- मु0अ0सं0 1368/2017 धारा 4/25 ए.एक्ट थाना फेस तृतीय जनपद मध्य (कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर) ।
- मु0अ0सं0 439/2022 धारा 394 भादवि थाना बिसरख जनपद जनपद मध्य (कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर) ।

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेंद्र मलिक
2. उ0नि0 श्री सरबन कुमार गौतम
3. उ0नि0 श्री रामप्रताप राघव
4. है0का0 देव प्रताप
5. है0का0 अमित कुमार
6. का0 भूपेन्द्र सिंह
7. का0 संदीप धामा

थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा NCR क्षेत्र में शराब बेचने वाला 01 शातिर अभि0 मय 24 अदद पौच्वा FRESH Motta मार्का मसालेदार देशी शराब नाजायज फोर सेल इन हरियाणा नाजायज शराब सहित गिरफ्तार ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में पुलिस अधीक्षक महोदय नगर द्वितीय व क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल निर्देशन में थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा आज दिनांक 24.09.2022 को झुग्गी झोपड़ी सै0 1 वैशाली के पास से 01 शातिर अभियुक्त **1. अभियुक्त इरफान उर्फ गुलफाम पुत्र मोहम्मद अजीमुद्दीन उर्फ बौकू निवासी अंब्रोसिया पैलेस के पीछे बनी झुग्गी झोपड़ी सेक्टर 3 वैशाली थाना कौशांबी जनपद गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम दबेल थाना बिहारीगंज जिला मधेपुरा बिहार उम्र 32 वर्ष** संबंधित मु0अ0सं0 533/2022 धारा 60/63 आबकारी अधि0 मय 24 अदद पौच्वा FRESH Motta मार्का मसालेदार देशी शराब नाजायज फोर सेल इन हरियाणा सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है ।

नाम पता अभियुक्त -

1. अभियुक्त इरफान उर्फ गुलफाम पुत्र मोहम्मद अजीमुद्दीन उर्फ बौकू निवासी अंब्रोसिया पैलेस के पीछे बनी झुग्गी झोपड़ी सेक्टर 3 वैशाली थाना कौशांबी जनपद गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम दबेल थाना बिहारीगंज जिला मधेपुरा बिहार उम्र 32 वर्ष

अपराध का विवरण -

1. मु0अ0सं0 533/2022 से धारा 60/63 आबकारी अधि0

व अन्य अपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

24 अदद पौच्वा FRESH Motta मार्का मसालेदार देशी शराब नाजायज फोर सेल इन हरियाणा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 रीगल कुमार
2. हे0का0 1403 राघव सिंह
3. का0 3878 आनंद कुशवाहा
4. का0 3876 आशीष कुमार

थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा NCR क्षेत्र में शराब बेचने वाला 01 शातिर अभि0 मय 24 अदद पौच्वा FRESH Motta मार्का मसालेदार देशी शराब नाजायज फोर सेल इन हरियाणा नाजायज शराब सहित गिरफ्तार।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में पुलिस अधीक्षक महोदय नगर द्वितीय व क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल निर्देशन में थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा आज दिनांक 24.09.2022 को झुग्गी झोपड़ी सै0 1 वैशाली के पास से 01 शातिर अभियुक्त 1. शहनवाज उर्फ बबलू पुत्र मोहम्मद शकील निवासी जैन मंदिर के सामने झुग्गी झोपड़ी सेक्टर 3 वैशाली थाना कौशांबी गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम झंझरी थाना गोलपड़ा जिला मधेपुरा बिहार उम्र 18 वर्ष संबंधित मु0अ0स0 534/2022 धारा 60/63 आबकारी अधि0 मय 24 अदद पौच्वा FRESH Motta मार्का मसालेदार देशी शराब नाजायज फोर सेल इन हरियाणा सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

नाम पता अभियुक्त -

1. शहनवाज उर्फ बबलू पुत्र मोहम्मद शकील निवासी जैन मंदिर के सामने झुग्गी झोपड़ी सेक्टर 3 वैशाली थाना कौशांबी गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम झंझरी थाना गोलपड़ा जिला मधेपुरा बिहार उम्र 18 वर्ष

अपराध का विवरण -

1. मु0अ0स0 534/2022 से धारा 60/63 आबकारी अधि0 व अन्य अपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

24 अदद पौच्वा FRESH Motta मार्का मसालेदार देशी शराब नाजायज फोर सेल इन हरियाणा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 रीगल कुमार
2. हे0का0 1403 राघव सिंह
3. का0 3878 आनंद कुशवाहा
4. का0 3876 आशीष कुमार

(थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा हिस्ट्रीसीटर व अवैध गांजा बेचने वाले 1 अभियुक्त को मय 2.2 किग्रा नाजायज गांजा सहित गिरफ्तार किया गया)

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के कुशल नेतृत्व में व क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध व अपराधियों तथा नशीले पदार्थ की बरामदगी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना इन्दिरापुरम पुलिस को उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान दिनांक 25.09.22 को समय करीब सुबह 06.30 बजे काला पत्थर पार्क के गेट के पास से अभियुक्त मन्नू यादव को मय 2.2 किग्रा नाजायज गांजे सहित गिरफ्तार किया गया है तथा थाना इन्दिरापुरम पर अभियुक्त मन्नू यादव के विरुद्ध मु0अ0स0 1254/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। उक्त अभियुक्त थाना इन्दिरापुरम पर हिस्ट्रीसीटर भी है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1- .मन्नू यादव पुत्र राजेन्द्र यादव हालपता 170 जी न्यायखंड 3 थाना इंदिरापुरम जनपद गाजियाबाद मूलपता ग्राम मधुबन पोस्ट दिनमू थाना कुसेसरस्थान जिला दरभंगा बिहार

2- अपराधिक इतिहास अभियुक्त मन्नू यादव पुत्र राजेन्द्र यादव

- 1- मु0अ0स0 875/2017 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना इन्दिरापुरम गा0बाद
- 2- मु0अ0स0 484/2019 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना इन्दिरापुरम गा0बाद
- 3- मु0अ0स0 716/2019 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना इन्दिरापुरम गा0बाद
- 4- मु0अ0स0 781/2019 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना इन्दिरापुरम गा0बाद
- 5- मु0अ0स0 877/2019 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना इन्दिरापुरम गा0बाद
- 6- मु0अ0स0 1038/2019 धारा 8/20/27/52 एनडीपीएस एक्ट थाना इन्दिरापुरम गा0बाद
- 7- मु0अ0स0 1039/2019 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना इन्दिरापुरम गा0बाद
- 8- मु0अ0स0 1587/2019 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना इन्दिरापुरम गा0बाद
- 9- मु0अ0स0 1588/2019 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना इन्दिरापुरम गा0बाद
- 10- मु0अ0स0 1376/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना इन्दिरापुरम गा0बाद
- 11- मु0अ0स0 1181/2020 420 भादवि थाना इन्दिरापुरम गा0बाद
- 12- मु0अ0स0 1182/2020 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम थाना इन्दिरापुरम गा0बाद
- 13- मु0अ0स0 1183/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना इन्दिरापुरम गा0बाद
- 14- मु0अ0स0 1185/2020 धारा 3/25 आम्स एक्ट थाना इन्दिरापुरम गा0बाद
- 15- मु0अ0स0 1375/2020 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना इन्दिरापुरम गा0बाद
- 16- मु0अ0स0 1377/2020 धारा 3/25 आम्स एक्ट थाना इन्दिरापुरम गा0बाद
- 17- मु0अ0स0 1376/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना इन्दिरापुरम गा0बाद

बरामदगी का विवरण

2.2 किग्रा0 नाजायज गांजा

गिरफ्तारी/ सहयोग करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्रभारी निरीक्षक देवपाल सिंह पुन्डीर
- 2- उ०नि० अर्जुन सिंह
- 3- है०का० 1325 ओमकार सिंह
- 4- का० 2268 राजीव पवार

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम गांजा नाजायज बरामद ।

कार्यवाही:- कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद की टीम द्वारा दिनांक: 24/09/2022 समय 23.55 बजे जीजी फार्म हाउस के नीचे रास्ते पर सडक के पास से 1 अभियुक्त से 1 किलो 200 ग्राम गांजा नाजायज संबंधित मु०अ०स० 1561/22 धारा 8/20 NDPS ACT सहित गिरफ्तार किया।

अपराध कारित करने का तरीका

अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ मे बताया कि मुझसे मिली पालीथीन में गांजा है जिसे मैं बेचने के लिए जा रहा था कि आप पुलिस वाले ने मुझे देख लिया, और मैं पकडा गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

सूरज पुत्र हरी सिंह निवासी सी 28 गणेशपुरी थाना साहिबाबाद गा०बाद उम्र 19 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

उ०नि० श्री रामगोपाल सिंह

है०का० 765 धीरज चतुर्वेदी

है०का० 313 धर्मेन्द्र सिंह

का० 588 इन्द्रजीत

बरामदगी का विवरण

1 किलो 200 ग्राम गांजा नाजायज संबंधित मु०अ०स० 1561/22 धारा 8/20 NDPS ACT



थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो मे कुल 11 गिरफ्तार

कार्यवाही:- कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद द्वारा मय टीम के अलग अलग मामलो मे आज दिनांक 25.9.2022 को कुल 11 अभि0गण गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। जिनका विवरण निम्नवत है।



01. 02अभियुक्त गण अन्तर्गत धारा 8/20 NDPS

AC से संबंधित

02. 09 अभियुक्तगण शांति भंग -151 सीआरपीसी चालान

थाना लोनी पुलिस द्वारा नशे का कारोबार करने वाला 01 शातिर अभियुक्त मय 1100 ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार

श्री मुनिराज जी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय द्वारा अवैध नशीले पदार्थों का कारोबार करने वालो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध नशीले पदार्थों का कारोबार करने वाले शातिर किस्म के अभियुक्त प्रिन्स पुत्र सुभाष नि0 नूरपुर मुजविदा थाना खेकडा बागपत उम्र 20 वर्ष को मय 1100 ग्राम नाजायज गांजा के साथ बन्थला फ्लाईओवर बन्द फाटक के पास चौकी क्षेत्र चौकी कस्बा से दिनांक 25.9.2022 को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक इतिहास -

प्रिन्स पुत्र सुभाष नि0 नूरपुर मुजविदा थाना खेकडा बागपत उम्र 20 वर्ष
मु0अ0सं0 1127/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना लोनी गा0बाद ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:

- 1.SHO श्री अजय चौधरी थाना लोनी गा0बाद
2. उ0नि0 नरेन्द्र कुमार चौकी प्रभारी कस्बा थाना लोनी
3. उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान
4. है0का0 961 ऋषिलाल सिंह
5. है0का0 558 गुलाब हसन

बरामदगी का विवरण:-

अभि० के कब्जे से 1100 ग्राम नाजायज बरामद,